

# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान

## कार्यालय-आदेश

विभागीय संकल्प संख्या- 09/बि0बि00स0-09/2015-51, 216 दिनांक 25.01.2018 के आलोक में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्कर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लेने की स्वीकृति प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त विभागीय निदेश के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में अतिथि शिक्षक की सेवा लेने हेतु अनुशंसा की जाती है। अतिथि शिक्षक को 1000/- (एक हजार रुपये) प्रति कार्य दिवस की दर से अधिकतम 25 दिनों के कार्य के लिए भुगतान किया जायेगा। अतिथि शिक्षकों से किसी भी परिस्थिति में गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जायेगा। अतिथि शिक्षकों का उपयोग विद्यालय प्रधान विद्यालय के आवश्यकतानुसार करेंगे। अतिथि शिक्षक जिस विषय के लिए उपलब्ध कराये गये हैं उनसे उन्हीं विषयों का वर्ग 11वीं एवं 12वीं के छात्र/छात्राओं का अध्यापन कार्य कराया जाय। विद्यालय के लिए संसूचित अवकाश के दिन अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जायेगी। अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति अलग पंजी में संधारित की जाय। समय-समय पर निर्गत विभागीय निदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय। कॉउंसलिंग के अधार पर जन्तु विज्ञान में निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में अतिथि शिक्षक की सेवा हेतु अनुशंसा की जाती है।

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	कोटि	मेधा अंक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	गोविन्द मिश्र	श्री कपिलदेव मिश्र	10.02.1993	सामान्य	77.45	लालपरी देवी प्रो0बा0 उच्च विद्यालय, गोरेयाकोठी, गोरेयाकोठी
2	शाहीना प्रवीन	शकील अहमद	15.08.1990	अ0पि0व0	72.14	उच्च विद्यालय, नवीगंज बजार, लकड़ी नवीगंज
3	प्रियंका कुमारी	रामाशंकर प्रसाद	15.03.1990	पि0व0	76.33	को-आपरेटिव उच्च विद्यालय, जगदीशपुर, नवतन
4	अमृता कुमारी	कौशल किशोर गुप्ता	19.07.1989	अ0जा0	71.83	पल्टू उच्च विद्यालय, गोपालपुरकोठी, लकड़ी नवीगंज

1. संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक संलग्न आमंत्रण पत्र अभ्यर्थी को देना सुनिश्चित करेंगे।
2. सेवा देने के इच्छुक अनुशंसित अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के अधार पर सेवा लेना सुनिश्चित करेंगे।
3. भुगतान के पूर्व सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. अतिथि शिक्षकों की सेवा हेतु निर्गत अधोहस्ताक्षरी के पत्र का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे।
5. अतिथि शिक्षकों के प्रमाण पत्र में किसी तरह की गड़बड़ी पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे, तथा नियमानुसार अन्य कानूनी कार्रवाई (प्राथमिकी दर्ज करना, तदर्थ समिति के निर्णय से हटाना आदि) भी करेंगे।
6. अभ्यर्थी के विद्यालय में योगदान की सूचना तुरन्त विशेष दूत के द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे।
7. आमंत्रण पत्र भेजने के एक सप्ताह तक योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थी की पात्रता रद्द समझी जायेगी। इसके बाद उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
रा0मा0शि0 अभियान, सिवान।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
सिवान।  
31/8/18

ज्ञापांक ..... / सिवान दिनांक ..... /

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित, निदेश दिया जाता है कि अपने विद्यालय में आवंटित अतिथि शिक्षकों को पत्र प्राप्ति के साथ ही आमंत्रण पत्र उपलब्ध कराते हुए उनके योगदान की सूचना अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक:- आमंत्रण पत्र का प्रारूप।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
रा0मा0शि0 अभियान, सिवान।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
सिवान।  
3/8/18

ज्ञापांक ..... / सिवान दिनांक ..... /

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि चयनित अभ्यर्थियों एवं संबंधित प्रधानाध्यापकों को सूचना ससमय उपलब्ध कराने हेतु एन0आई0सी0 के बेवसाईट पर अपलोड करने का कृपा प्रदान करें।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
रा0मा0शि0 अभियान, सिवान।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
सिवान।  
3/8/18

ज्ञापांक 708 ..... / सिवान दिनांक 03/08/2018 ..... /

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ सादर समर्पित।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
रा0मा0शि0 अभियान, सिवान।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
सिवान।  
3/8/18

ज्ञापांक 708 ..... / सिवान दिनांक 03/08/2018 ..... /

प्रतिलिपि:- निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार पटना को सूचनार्थ सादर समर्पित।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
रा0मा0शि0 अभियान, सिवान।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
सिवान।  
3/8/18